234

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5—34/2020/10—2 नवा रायपुर, दिनांक 11 /01/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः— Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Gariyaband Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 19.099 ha. regarding.

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्र./भू—प्रबंध/विविध—1ए/115—833/2254, दिनांक 10.12.2020।

———00———

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :—

1.आवेदित वन भूमि का विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 05 से 33 में दर्ज है उक्त आवेदित वन भूमि के विवरण में एक ही कक्ष क्रमांक को अनेक बार आवेदित किया गया है। इस तरह के विवरण से यह स्पष्ट नही हो रहा है कि, उक्त एक वन कक्ष में कुल आवेदित रकबा कितना है ?

उक्त आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (भाग-II) में आवेदित उक्त वन भूमि का रकबा को कक्षवार एकजाई कर निम्न तालिका अनुसार प्रदाय करें :—

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे) में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 74 में विभागीय पत्र क्र. एफ 7—3/2018/10—2, दि. 26.05.2018 का उल्लेख करते हुए वनमंडलाधिकारी द्वारा इसके तहत् अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई है। उक्त पत्र में वनमंडलाधिकारियों को ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरणों में अनुमति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र को विभागीय पत्र क्र. एफ 7—03/2018/10—2, दिनांक 04.01.2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त स्थिति में विभागीय पत्र क्र. एफ 7—03/2018/10—2, दिनांक 26.05.2018 निष्प्रभावी हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्र के आधार पर वनमंडलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना नियमानुसार उचित नही है। अतः नोडल अधिकारी कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

क्रमशः 2

3.प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 10 अनुसार आवेदित क्षेत्र उदन्ती सीतानदी टाइगर रिजर्व के 10 कि.मी. की परिधि में स्थित है, किंतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की टीप नही दी गई है। कृपया स्थित स्पष्ट करें। बिंदु क्र. 12 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है अथवा नही बाबत् टीप दिया जाना था, किंतु वनमंडलाधिकारी द्वारा टीप में निरंक लिखा गया है।

4.संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 21 में नोडल अधिकारी की टीप अस्पष्ट है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

11.1.21

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 11/01/2021

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5–34/2020/10–2

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

11.1.21

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग